हिमाचल प्रदेश उपकरण (शोर नियन्त्रण) अधिनियम, 1969

धाराओं का क्रम

धाराएं:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. उपकरणों के प्रयोग पर निर्बन्धन।
4. उपकरणों क प्रयोग पर सीमा।
5. फीस।
6. शास्ति।
7. अपराधों का संज्ञेय होना।
8. निरसन और व्यावृत्तियां।

हिमाचल प्रदेश उपकरण (शोर नियन्त्रण) अधिनियम, 1969

(1969 का अधिनियम संख्यांक 28)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 04 अप्रैल, 1987 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 24 अक्तूबर, 1987 को पृष्ठ संख्या 2113 से 2115 पर प्रकाशित किया गया।)

लाउडस्पीकर, माईक्रोफोन, एम्पलीफायर इत्यादि उपकरणों के उपयोग और बजाने को नियन्त्रित करने के लिए **अधिनियम।**

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उपकरण (शोर नियन्त्रण) अधिनियम, 1969 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर होगा।

(3) यह ऐसे क्षेत्रों में और ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में निर्दिष्ट करें।

---

1. **पाद टिप्पणी:**— चूँकि अधिनियम राजभाषा में 04 अप्रैल, 1987 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 24 अक्तूबर, 1987 को पृष्ठ संख्या 2113 से 2115 पर प्रकाशित किया गया। अधिप्रमाणन के समय अंग्रेजी में उल्लिखित संशोधन सम्मिलित कर लिए गए थे।

2. **परिभाषाएं.**— इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

1898 का 5 (क) ''जिला मैजिस्ट्रेट'' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 10 के अधीन नियुक्त जिला मैजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(ख) ''सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ग) ''उपकरण'' से लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर और ध्वनि करने के ऐसे अन्य यंत्र अभिप्रेत हैं जो सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपकरण घोषित किए जाएं;

(घ) ''अधिसूचना'' से उचित प्राधिकार के अधीन, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है।

(ङ) ''राजपत्र'' से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है।

3. **उपकरणों के प्रयोग पर निर्बन्धन.**— कोई भी व्यक्ति, जिला मैजिस्ट्रेट या उस द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा और ऐसी शर्तों के अधीन के सिवाए, जो इसमें लगाई जाएं, किसी परिसर में या उस पर, किसी उपकरण का ऐसे स्वर या ध्वनि में नहीं प्रयोग करेगा या बजाएगा, जो उसके अहाते से बाहर श्रव्य हो।

4. **उपकरणों के प्रयोग पर सीमा.**— कोई भी व्यक्ति, जिला मैजिस्ट्रेट या उस द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा और ऐसी शर्तों के अधीन के सिवाय, जो इसमें लगाई जाएं, किसी उपकरण को रात को दस बजे और प्रातः छः बजे के बीच नहीं प्रयोग करेगा अथवा चलाएगा।

5. **फीस.**— धारा 3 या धारा 4 के अधीन तब तक अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जब तक अनुज्ञा के लिए आवेदन में पांच रुपए की दर से संग्रणित मूल्य की प्रत्येक दिन या उसके भाग के लिए, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञा मांगी गई है, न्यायालय फीस स्टाम्प न लगी हो;

परन्तु जहां अनुज्ञा नामंजूर की जाती है या उस अवधि के लिए दी जाती है जो उससे न्यून है जिसके लिए आवेदन किया गया है, वहां फीस की राशि का, यथास्थिति, पूर्णतः या अनुपाततः प्रतिदाय किया जाएगा।

6. **शास्ति.**— जो कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह दोनों में से एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों के, दण्ड के लिए दायी होगा।

1898 का 5 7. **संज्ञेय अपराध.**— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

1966 का 31 8. **निरसन और व्यावृत्तियां.**— पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल
1956 का 36 प्रदेश में जोड गए क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त दि पंजाब इन्स्ट्रूमैण्ट्स (कंट्रोल आफ नाइजिज) ऐक्ट, 1956 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है:

परन्तु उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई जारी की गई किसी अधिसूचना, मंजूर की गई अनुज्ञा या प्रारम्भ या जारी रखी गई कार्यवाहियों सहित इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश उपकरण (शोर नियन्त्रण) अधिनियम, 1969 के अधीन

अधिसूचनाएं

गृह विभाग

शिमला–171002, 4 मई, 1970

सं0 1–15/68–गृह.–हिमाचल प्रदेश के प्रशासक, हिमाचल प्रदेश उपकरण (शोर नियन्त्रण) अधिनियम, 1969 की धारा 1 की उप–धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करते हैं कि यह अधिनियम सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश में 4 मई, 1970 से प्रवृत्त होगा।

शिमला–2, 11 फरवरी, 1973

सं0 1–15/68–गृह.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपकरण (शोर नियन्त्रण) अधिनियम, 1969 की धारा 1 की उप–धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना, तारीख 4 मई, 1970 के आंशिक उपान्तरण में आदेश देते हैं कि आगे आदेश होने तक अधिनियम, शिमला निगम के नगरपालिका क्षेत्र सहित, केवल हिमाचल प्रदेश के सभी नगरपालिका और अधिसूचित क्षेत्रों में लागू रहेगा।

अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपकरणों की घोषणा करना

शिमला–171002, 30 अक्तूबर, 1968

सं0 1–3/68–गृह.–हिमाचल प्रदेश के प्रशासक, (उप–राज्यपाल) पंजाब इन्स्टूमैन्ट्स (कण्ट्रोल आफ नायजिज) ऐक्ट, 1956 (1956 का पंजाब ऐक्ट सं0 36) की धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''कुकु'' (चावल, तेल, आटा मिल इत्यादि में आवाज के प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त भोंपू की तरह के या अन्य उपकरण या यंत्र) को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ''उपकरण'' घोषित करते हैं।

शिमला–171002, 25 मार्च, 1971

सं0 1–15/68–गृह.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपकरण (शोर नियन्त्रण) अधिनियम, 1969 की धारा 2 के खण्ड (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेडियो, ग्रामोफोन, टेपरिकार्डर और संगीतात्मक बैंड को इस अधिनियम के अधीन उपकरण के रूप में घोषित करते हैं।